

अभियान-2021 में निर्माण राजीव गांधी सेवा
केंद्र ग्राम पंचायत, 24.8.2021 में पेश हुई।
बकलाय/फरीकोन उपस्थित। पत्रावली में
राजीवनामा एवं आगस्ती सहमती नहीं बनने पर
पत्रावली न्यायालय में दिनांक 31.3.22
को पेश हो।

31-3-22 मास में पत्रावली
केन्द्र द्वारा वकील वाली अथवा
पत्रावली में वकील वाली
नहीं प्रेष किया है मातः
वादी का बच गये
जुद्ध में लाजिब किया
जाता है पत्रावली द्वारा
मुक्त करने गये के
कम ही बच गये
दस्तावेज सबक हो

5
उपसंग्रह अधिकारी
गिरधरा (असुर) कड

Not Press
AKumar
31/3/22
Nopendra Kumar

